

१५२

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक—एफ.6(6) / एफ.डी. / रल्स / 2010 दिनांक—25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर की अनुशंसा के आधार पर श्री दलीप कुमार, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, 8 बी.जी.डी. श्रीगंगानगर को दिनांक—26.02.2021 से उनके मूल वेतन का ४% प्रतिशत (६ %) किन्तु जो 600/- (छ: सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता रवीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा रथानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-७/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020 दिनांक—०२-०३-२०२१ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—
१—संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर संभाग, बीकानेर
२—जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर
३—सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
४—प्रधानाचार्य, राउमावि, 8 बी.जी.डी. श्रीगंगानगर को श्री दलीप कुमार, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
५—श्री दलीप कुमार, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, 8 बी.जी.डी. श्रीगंगानगर
६—रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक—एफ.6(6)/एफ.डी./रॉल्स/2010 दिनांक—25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सागवाड़ा जिला डॉगरपुर की अनुशंसा के आधार पर श्री दीपक राव, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, वरसिंगपुर—सागवाड़ा जिला डॉगरपुर को दिनांक—22.01.2021 से उनके मूल वेतन का छ: प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छ: सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदान्वति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी—7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020 दिनांक—02-03-2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—
1—संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर
2—मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सागवाड़ा जिला डॉगरपुर
3—सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4—प्रधानाचार्य, राउमावि, वरसिंगपुर—सागवाड़ा जिला डॉगरपुर को श्री दीपक राव, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
5—श्री दीपक राव, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, वरसिंगपुर—सागवाड़ा जिला डॉगरपुर
6—रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

१०५

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक—एफ.6(6)/एड.टी./रल्स/2010 दिनांक—25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर की अनुशंसा के आधार पर श्री रमेश कुमार शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, फकीरवाली (श्रीगंगानगर) को दिनांक—13.01.2021 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता रखीकृत किया जाता है।

इन्हें आकर्षित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा रथानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

—८—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/रास्था/सी—७/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020 दिनांक—०२.०३.२०२१ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1—संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर संभाग, बीकानेर
- 2—जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर
- 3—सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4—प्रधानाचार्य, राउमावि, फकीरवाली (श्रीगंगानगर)
- 5—श्री रमेश कुमार शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, फकीरवाली (श्रीगंगानगर)
- 6—रक्षित पत्रावली

—९—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर